राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांकः– एफ–4 / मु. / याता / लेखा(9) / 2020 / 624 दिनांकः– 18-3-2020

कार्यालय–आदेश

भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19)को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है तथा राजस्थान राज्य सरकार 30 मार्च, 2020 तक राज्य के सभी विधालयों / महाविधालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित विधालयो / महाविधालयों में अध्ययनरत विधार्थियों को उनके गंतव्य स्थान के लिये परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से शिक्षण संस्थाओं द्वारा कोरोना वायरस की अवधि में निगम की वाहनों की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार वाहन शिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावें :–

1. वाहन निकटतम आगार से उपलब्ध करायी जावेगी।
2. यथासम्भव वाहन आगार से शिक्षण संस्थान तक बुकिंग करते हुए प्रस्थान की जावें । वाहन सीधे ही शिक्षण संस्थान को भेजे जाने पर आगार की जनवरी 2020 की परिवर्तनशील लागत प्रति कि.मी. आगार कार्यशाला से शिक्षण संस्थान तक की दूरी की राशि शिक्षण संस्थान से प्रार्थना पत्र के साथ वसूल की जावेगी ।
3. शिक्षण संस्थान से गन्तव्य स्थान तक यात्रा करने वाले विधार्थियों को समूह में यात्रा (कम से कम 25 छात्र) करने पर मूल किराया राशि में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावें ।
4. गन्तव्य स्थान पर वाहन के पहुँचने के पश्चात वाहन को निकटतम बुकिंग घर / केन्द्रीय बस स्टेण्ड से नियमानुसार बुकिंग कराते हुये आगार में वापस लायी जावे ।

उक्त निर्देश 25 मार्च 2020 तक मान्य होगे।

(नवीन जैन)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः– एफ4 / मु0 / याता. / लेखा(8) / 2020 / 624 दिनांकः 18-3-2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, राज. परि. निगम, मुख्यालय–जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राज. परि. निगम, मुख्यालय–जयपुर।
3. महा प्रबंधक / संयुक्त महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक ( ) रा.प.नि.मु.ज.यपुर ।
4. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम, ––––––––––––––––
5. उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी) रा. प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
6. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश निगम वेबसाइट पर उपलब्ध करावें ।
7. सचिव, रा.प.नि.मु.जयपुर।
8. कार्यकारी प्रबंधक (जन–सम्पर्क) रापनि, मु.–जयपुर को निर्देशित किया जाता है किउक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार–प्रसार करावें।
9. कार्यकारी प्रबंधक ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय–जयपुर।
10. समस्त मुख्य प्रबंधक, राज. परि. निगम, –––––––––––– आगार
11. प्रबंधक (यातायात / वित्त / संचालन) राजस्थान परिवहन निगम, ––––––––––

(एम.पी. मीना)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned by CamScanner